आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

07.7.2023

न्यायालय:- भूमि सुधार उपसमाहर्ता, श्री बंशीधर नगर।

नामांतरण अपील वाद सं0 18/2014-15

उसमान अंसारी वगैरह ———— अपीलार्थीगण।

बनाम्

सकीना बीबी पति सैयद अंसारी ———— प्रत्यर्थी।

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्व अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं0 99/2011-12 में दिनांक 10.11.2012 ई0 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। नामांतरण अपील आवेदन पत्र पर विद्व अधिवक्ता को सुना। नामांतरण अपील आवेदन पत्र अंगीकृत किया गया एवं संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, रमना से मूल अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, रमना से अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उभय के विद्व अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थीगण के विद्व अधिवक्ता का कथन है कि- 01 अपीलार्थीगण अंचल रमना जिला गढ़वा के अन्तर्गत ग्राम टण्डवा पोस्ट टण्डवा के रैयत आलेनवी मियां पिता दसई मियां मरहुम के पोता है। आलेनवी मियाँ का बंशावली निम्न प्रकार है:-

आलेनवी मियां (मृत दिनांक 01.01.2002)

↓

सुभान अंसारी | सरफुदीन अंसारी (मृत दिनांक 09.05.1993) | जैनब बीबी

सरफुदीन अंसारी ↓

सैयद अंसारी | क्यूम अंसारी

विदित हो कि उपरोक्त बंशावली से स्पष्ट है कि आलेनवी मियाँ के दो पुत्र सुभान अंसारी एवं सरफुदीन अंसारी थे तथा जैनब बीबी एक मात्र पुत्री थी। सरफुदीन अंसारी की मृत्यु दिनांक 09.05.1993 ई0 को अपने पिता आलेनवी मियां के जीवन काल में हो गई थी। सरफुदीन मियाँ एवं आलेनवी मियाँ के मृत्यु के पश्चात् मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। सरफुदीन अंसारी के दो पुत्र हुए जिसका नाम क्रमशः सैयद अंसारी एवं क्यूम अंसारी है जो जिवित है।

02 मुसलिम लॉ के अनुसार सरफुदीन अंसारी की मृत्यु पिता

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आलेनवी मियाँ के जीवन काल में हो जाने के कारण आलेनवी मियाँ के चल एवं अचल सम्पति में सरफुदीन अंसारी या उनके दोनो पुत्र सैयद अंसारी वो क्यूम अंसारी का मौरूषी हक समाप्त हो गया। आलेनवी के चल एवं अचल सम्पति में सिर्फ आवेदक के पिता सुभान अंसारी एवं फुआ जैनव बीबी का हक रह गया तथा ये दोनों भाई बहन ही आलेनवी मियाँ के चल एवं अचल सम्पति में अपने हिस्से के अनुसार बांटकर खेती बारी कर सकते है या बिक्री कर सकते है या मनमाफिक उपयोग कर सकते है। सरफुदीन अंसारी के दोनों पुत्र का आलेनवी मियाँ के सम्पति के न तो उत्तराधिकारी हुए और न ही उनके सम्पति को कानूनन बेच सकते है और न ही अपने उपयोग में ला सकते है।

03 आलेनवी अंसारी के मृत्यु दिनांक 01.01.2002 ई0 को हो जाने के बाद आलेनवी मियाँ के कुल सम्पति का बंटवारा सुभान अंसारी एवं जैनव बीबी के बीच हो गया तथा जैनव बीबी अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को बिक्री कर दी जैनव बीबी के बिक्री करने के बाद जो जमीन बचा वह आवेदकगण के पिता का बचा जिस पर शान्तिपूर्ण दखल कब्जा अपीलार्थीगण का चला आ रहा है।

04 अपीलार्थी जब सितम्बर 2014 ई0 में अपने जमीन का रसीद कटवाने गये तब राजस्व कर्मचारी से जानकारी मिला कि सरफुदीन अंसारी का दोनों बेटा क्रमशः सैयद अंसारी ने दो विक्रय पत्र के माध्यम से अपनी सकीना बीबी के नाम ग्राम टण्डवा अंचल रमना के खाता नं0 191 प्लॉट नं0 68 रकबा 0.82 एकड़ एवं खाता नं0 180 प्लॉट नं0 188 रकबा 0.82 एकड़ जमीन बेच दिया है, जिसका दाखिल खारिज नामांतरण वाद संख्या 99/2012–13 के माध्यम से हो चुका है। क्यूम अंसारी द्वारा अपनी पत्नी सफुरा बीबी के नाम विक्रय पत्र के माध्यम से ग्राम टण्डवा के खाता नं0 180, 191 प्लॉट नं0 188, 68 अन्तर्गत 2.50 एकड़ जमीन बिक्री कर दिया है जिसका दाखिल खारिज नामांतरण वाद संख्या 54/2011–12 है। के माध्यम से हो चुका है। इसलिए सुभान अंसारी के जमीन में से रकबा 4.14 एकड़ जमीन बिक्री होने के कारण शेष जमीन का रसीद कटेगा इसके वाद आवेदकगण रसीद नहीं कटाये और सइद अंसारी एवं क्यूम अंसारी द्वारा बेचे गए जमीन से संबंधित कागजात की खोज में जूट गए और कागजात प्राप्त होने के बाद आवेदकगण ने विपक्षियों के नामें अंचल अधिकारी रमना अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के मिली भगत से गुप–चुक तरीके से किए एक विधि विरूद्ध नामांतरण को रद करने हेतु यह अपील दाखिल करते है।

05 नामांतरण वाद संख्या 99/2011–12 की कार्यवाई राजस्व शिविर में दिनांक 10.11.2012 ई0 को प्रारम्भ हुई एवं उसी दिन

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

उसमें अंतिम आदेश पारित किया गया।

अतः अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुएअंचल अधिकारी रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं0 99/2011–12 में पारित आदेश को अपास्त करने एवं अपीलार्थीगण नाम से नामांतरण करने अंचल अधिकारी को आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर का प्रत्युत्तर अपीलार्थी की ओर से :–

01 दिनांक 04.02.2015 ई0 को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल लिखित जवाब के कथन विधि व तथ्य की दृष्टि से दोषपूर्ण है एवं अमान्य करने योग्य है।

02 प्रत्यर्थी के लिखित जवाब के पैरा नं0 1 से 3 के कथन गलत है।

03 प्रत्यर्थी के लिखित जवाब के पैरा नं0 4 का कथन भ्रामक व असत्य है। प्रत्यर्थी ने अपने जवाब के पैरा नं0 4 में आलेनवी शेख एवं सरफुदीन मियां की मृत्यु की जो तारीख बताई है वह गलत है। जबकि अपीलार्थी ने अपने अपील ज्ञापन में आलेनवी शेख एवं सरफुदीन मिया की जो मृत्यु की तारीख बताई है वह सरकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर है जो सही वो सत्य है।

04 प्रत्यर्थी के लिखित जवाब के पैरा नं0 5 एवं 6 का कथन भी गलत है। पैरा नं0 5 एवं 6 में भी प्रत्यर्थी ने वही तथ्य को दोहराया है जो पूर्व में पैरा नं0 4 में उल्लेखित है इस वाद से संबंधित भूमि पर अपीलार्थी का शान्तिपूर्ण ढंग से जोत–कोड़ व दखल कब्जा है। आलेनवी शेख वो सरफुदीन मियॉ की मृत्यु प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है जिसकी चुनौती प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय में करना गलत है।

05 प्रत्यर्थी के जवाब पैरा नं0 7 का कथन गलत है क्योंकि अपीलार्थी ने अपने अपील ज्ञापन में जो तथ्य प्रस्तुत किया है वह प्रमाणिक है।

06 प्रत्यर्थी के जवाब का पैरा नं0 8 का कथन भी गलत है क्योंकि यह वाद जमाबंदी को रद्द करने का नहीं है बरन अपील का है एवं अपील क माध्यम से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को समाप्त (Seteside) किया जाता है। अतः प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के जिस न्याय निर्देश की बात कही है वह इस वाद पर लागु नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी की ओर से दायर प्रत्युत्तर स्वीकार कर प्रत्यर्थी के द्वारा दिनांक 04.02.2015 ई0 को दाखिल जवाब के तथ्यों को अमान्य करते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि :– 01 उपरोक्त वाद में प्रत्यर्थी के विरूद्ध दायर नामांतरण अपील अवैधानिक एवं अनुचित है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

02 अपीलार्थीगण द्वारा दायर नामांतरण अपील बेबुनियाद एवं मनगढ़न्त है।

03 विद्वान अंचल अधिकारी रमना द्वारा नामांतरण वाद सं0 99/2011–12 दिनांक 10.11.2012 को पारित आदेश बिलकुल ही सही एवं विधि के अनुकूल है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का अपील आवेदन खारीज योग्य है।

04 अपीलार्थी ने ग्राम टण्डवा अंचल वो थाना रमना जिला गढ़वा के खाता नं0 180 प्लॉट नं0 188 रकबा 0.82 एकड़ जो प्रत्यर्थी ने वजरिये केवाला सं0 4420 दिनांक 06.09.2012 ई0 के खरीदगी केवाला के अनुसार अंचल कार्यालय रमना से हुए नामांतरण वाद सं0 99/2011–12 दिनांक 10.11.2012 के विरुद्ध नामांतरण अपील दायर किया है। जिसमें अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन के कंडिका 1 में रैयत आलेनवी मियां का वंशवृक्ष दर्शाते हुए कहा गया है कि आलेनवी मियां के दो पुत्र क्रमशः सुभान अंसारी वो सरफुदीन अंसारी है एवं एक पुत्री जैनब बीबी है एवं सरफुदीन अंसारी के दो पुत्र सैयद अंसारी वो क्यूम अंसारी है। जिसमें सैयद अंसारी ने अपनी पत्नी सकीना बीबी यानी प्रत्यर्थी है। जिसमें उक्त केवाला के अनुसार प्रत्यर्थी ने वजरिय केवाला से अपील वाद की भूमि क्रम की है। जो अपीलार्थी ने रैयत आलेनवी मियां के वंशवृक्ष दर्शाते हुए कहते है कि आलेनवी मियां की मृत्यु दिनांक 01.01.2002 ई0 को हुई है एवं आलेनवी मियां के दूसरा पुत्र सरफुदीन अंसारी की मृत्यु दिनांक 09.05.1993 ई0 को हुई है। यानी अपीलार्थी का यह कहना कि पिता के पहले पुत्र सरफुदीन मियां की मृत्यु पहले हो गई है जिस कारण अपीलार्थी ने मुस्लिम कानून के अनुसार सरफुदीन अंसारी या उनके पुत्रों सैयद अंसारी या क्यूम अंसारी का मौरुषी हक समाप्त हो गया। जबकि सच्चाई है कि अपीलार्थीगण ने मनगढ़न्त बातें लाकर भूमि हड़पने के नियम से मृत्यु की तिथि अपील वाद में दर्शाया गया है। जबकि वास्तविकता है कि सरफुदीन मियां की मृत्यु की तिथि 07.01.2002 ई0 को हुई है एवं रैयत आलेनवी मियां की मृत्यु पहले हुई है। इस आधार पर भी अपीलार्थीगण का कथन गलत हो जाता है तथा अपीलार्थीगण का अपील वाद अविलम्ब खारीज योग्य है। क्योंकि अपीलार्थी ने आलेनवी मियां की मृत्यु तिथि दिनांक 01.01.2002 को दर्शाया है। इस प्रकार भी सरफुदीन मियां की मृत्यु 07.01.2002 ई0 है। जो आलेनवी मियां की मृत्यु के बाद हुई है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा मुस्लिम कानून की बाते कहकर नामांतरण अपील दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है तथा उक्त नामांतरण में विद्वान अंचलाधिकारी रमना द्वारा पारित आदेश पर किसी प्रकार का प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता है तथा सही है।

05 यह सच्चाई है कि आलेनवी मियां के मृत्यु के पश्चात् आलेनवी मियां के दोनो पुत्रों का सभी प्लॉटों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा रहा

लगातार _____

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

एवं आलेनवी मियां की पुत्री जैनव बीबी ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बिक्री कर दी परन्तु आलेनवी मियां के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रों का जोत–कोड़ एव दखल कब्जा है एवं घर मकान है। जिस पर प्रत्यर्थी अपनी खरीदी भूमि के अलावा प्रत्यर्थी के पति सैयद अंसारी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा हिस्से के मुताविक जोत–कोड़ करते आ रहे है।

06 अपीलार्थी का यह कहना कि सरफुदीन मियां की मृत्यु पिता के पूर्व हुई है जो गलत है क्योंकि अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में पिता से पूर्व मृत्यु का आधार बनाकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जो दर्शाया गया है बिलकुल ही स्वीकार योग्य नही है। जबकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी आपस में गोतिया एवं चचेरा भाई है। इस प्रकार अपीलार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र में काफी त्रुटि एवं विरोधाभाष है तथा उक्त अपील अविलम्ब खारिज योग्य है।

07 अपीलार्थी ने अपने सभी आधार में जो तथ्य अपील वाद में उठाया गया है जो बिलकुल ही गलत है तथा अपीलार्थी का आवेदन आधारहीन है ऐसी स्थिति में अपील वाद खारिज योग्य है।

08 विधि में अनुसार भी अपील वाद अमान्य है। जहॉ तक नामांतरण अपील को खारिज करने का प्रश्न है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का कई आदेश हो चुके है कि पूर्व से चल रहे योग को रद्द करना इस न्यायालय को नहीं है।

10 अपीलार्थी ने जिस आधार के अनुसार अपील बिलम्ब का कारण दिखाया गया है वह क्षमा योग्य नहीं है यदि बिलम्ब को दूर कर भी दिया गया है तो अपील का कारण सही नहीं है। ऐसी स्थिति में भी अपील वाद खारिज योग्य है।

अतः प्रत्यर्थी की ओर से लिखित जवाब स्वीकार कर अंचलाधिकारी रमना द्वारा नामांतरण वाद सं0 99/2011–12 दिनांक 10.11.2012 को पारित आदेश को बहाल रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारीज करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 मृत्यु प्रमाण पत्र सं0 110212 का छायाप्रति ..... 01 फर्द
02 आलेनवी के नाम से खतियान का छायाप्रति ..... 01 फर्द

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित अपील आवेदन पत्र, अपील आवेदन पत्र का प्रत्युत्तर वो अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि प्रश्नगत भूमि आलेनवी मियां पिता दसई मियां के नाम से है जिनके दो पुत्र क्रमशः सुभान अंसारी, सरफुदीन अंसारी एवं एक पुत्री जैनव बीबी है। अपीलार्थी के कथनानुसार सरफुदीन अंसारी का मृत्यु दिनांक 09.05.1993

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	को ही हो चुका था। तत्पश्चात् दिनांक 01.01.2002 को आलेनवी मियां का मृत्यु हुआ है। अपीलार्थी के अनुसार मुस्लिम लॉ के अनुसार सरफुदीन के मृत्यु उनके पिता आलेनवी अंसारी के मृत्यु से पूर्व होने के कारण आलेनवी अंसारी के चल एवं अचल सम्पति में सरफुदीन अंसारी के वारिसान का हक एवं हिस्सा नहीं होगा। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा अन्तर्विष्ट सम्पूर्ण प्रावधानों का सम्यक विधि सम्मत अनुपालन करने में असफल रहें। सरफुदीन अंसारी के मृत्यु की तिथि से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमना से पत्राचार किया गया। जिससे एक ही व्यक्ति के नाम से दो अलग–अलग तिथि को निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन विरोधाभाष दिया गया, प्रतिवेदन अस्पष्ट है। उभय पक्ष के द्वारा सरफुदीन अंसारी के मृत्यु की तिथि को लेकर अलग–अलग साक्षियों का साक्ष्य शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसका संबंधित अधिवक्ता के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। परन्तु साक्षियों के द्वारा दी गई ब्यान से स्पष्ट प्रमाणित नहीं हो सका कि सरफुदीन अंसारी का मृत्यु किस तिथि एवं वर्ष को हुआ था। उभय पक्ष द्वारा सरफुदीन अंसारी की मृत्यु की तिथि विरोधाभाष है तथा आलेनवी की मृत्यु तिथि 01.01.2002 अंकित है। निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख वाद संख्या 99/2012–13 का भी अवलोकन किया एवं पाया कि अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा नामांतरण वाद सं0 99/2011–12 के विरूद्ध यह अपील आवेदन पत्र दाखिल किया गया है जो गलत है। जबकि प्रश्नगत भूमि का नामांतरण वाद सं0 99/2012–13 दिनांक 10.11.2012 से अंचल अधिकारी रमना के द्वारा राजस्व शिविर के दौरान निष्पादित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थी क्रेता का दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि का बंटवारा हक एवं हिस्से/स्वामित्व से संबंधित मामला है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।	

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.08.07 13:21:15 +05:30
Location: 192.168.69.87

Scanned with CamScanner